न्यायालयः अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीपाड़ शहर, जोधपुर जिला।

पीठासीन अधिकारी : **इन्साफ खान (आर.जे.एस.)**

फौजदारी मूल प्रकरण सं. : **700/2019(180/12)**

सी आई एस नम्बर : **1436/14**

सी एन आर नंबर : **RJJR05-000132-2012**

राजस्थान राज्य – **अभियोगी**

ब ना म

श्यामपुरी पुत्र मंगलपुरी, निवासी खांगटा, पुलिस थाना पीपाड शहर।
– **अभियुक्त**

अपराध अंतर्गत धारा 279,337,338 भारतीय दण्ड संहिता व 134/187 एमवी एक्ट

उपस्थित :–

1. विद्वान अभियोजन अधिकारी वास्ते राज.राज्य।
2. विद्वान अधिवक्ता श्री मंसूर अली छीपा वास्ते अभियुक्त।

---

12 वर्ष से अधिक पुराना प्रकरण

–:निर्णयः– **दिनांक : 23.01.2025**

1. हस्तगत प्रकरण श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला के आदेश क्रमांक 2019/10 दिनांक 04.05.2019 की पालना में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट पीपाड़ शहर, जोधपुर जिला से इस न्यायालय में निस्तारण हेतु अंतरित किए जाने पर इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया गया है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी अर्जुनराम ने एक लिखित रिपोर्ट पुलिस थाना पीपाड़ शहर में इस आशय की पेश की कि दिनांक 26.12.2011 को दिन के करीब 02 बजे उसका पुत्र सहदेव शौच से निपटकर आ रहा था कि सामने से एक ट्रक नंबर आरजे19 जीबी 4611 वाला जोधपुर से पीपाड रोड बस स्टेण्ड की तरफ आ रहा था जो उसका ड्राईवर ट्रक को तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाता हुआ आया तथा गलत दिशा की तरफ जाकर उसके पुत्र सहदेव के टक्कर मारकर एक्सीडेंट कर दिया जिससे उसके पुत्र सहदेव के दोनों पैरों के उपर से टायर निकल गया जिससे उसके पुत्र के दोनों पैर टूट गए। ट्रक का ड्राईवर ट्रक को मौके पर छोडकर भाग गया। मौके पर वह व उसका भाई श्यामलाल दौडकर गए व

उसके पुत्र को उठाकर पीपाड शहर अस्पताल लेकर गए जहां से उसके पुत्र को जोधपुर रेफर कर दिया। वहां डाक्टरों की हडताल की वजह से उसके पुत्र को सनसिटी अस्पताल जोधपुर भर्ती करवाया, जहां उसका ईलाज चल रहा है। ट्रक मालिक ने कहा कार्यवाही मत करो, ईलाज के रूपये दे दूंगा, लेकिन अब उसने ईलाज के रूपये देने से मना कर दिया। इसलिए रिपोर्ट करने आया हूं। उक्त रिपोर्ट पर मुकदमा संख्या 01 / 12 जुर्म धारा 279,337 भारतीय दंड संहिता में दर्ज किया गया।

3. बाद अनुसंधान अभियुक्त श्यामपुरी के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 279,337,338 भादसं. व 134 / 187 एमवी एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर अभियुक्त के विरुद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्त को उक्त धाराओं का आरोप मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया जिसे सुन व समझ कर अभियुक्त ने आरोपित अपराध से इन्कार कर अन्वीक्षा चाहीं।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य अभियोजन में गवाह पीडब्ल्यू–1 श्यामलाल, पीडब्ल्यू–2 रतनलाल, पीडब्ल्यू–3 माधोसिंह, पीडब्ल्यू–4 सीतादेवी, पीडब्ल्यू–5 घासीलाल, पीडब्ल्यू–6 डॉ नरनायक भाटी, पीडब्ल्यू–7 सुशीला, पीडब्ल्यू–8 पप्पुराम, पीडब्ल्यू–9 भेराराम के बयान लेखबद्ध करवाए गए तथा दस्तावेजी साक्ष्य में फर्द नक्शा मौका प्रदर्श पी 2, लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 3, चाक एफआईआर प्रदर्श पी 4, फर्द जब्ती ट्रक प्रदर्श पी 5, धारा 133 एमवी एक्ट नोटिस प्रदर्श पी 6, एमटीओ रिपोर्ट प्रदर्श पी 7, आईआर प्रदर्श पी 8, फोटोग्राफ प्रदर्श पी 9 लगायत प्रदर्श पी 14 प्रदर्शित करवाए गए।

5. अभियुक्त के धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथन लेखबद्ध किये गये, जिसमें उसने अपने विरुद्ध किये गये कथनों को गलत बताते हुए स्वयं के निर्दोष होने का कथन किया गया तथा साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश नहीं करना चाहा।

6. बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने कथन किया कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्त को दंडित करने का निवेदन किया।

जबकि विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने दौराने बहस तर्क दिया कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्त द्वारा अपराध कारित किया गया, यह संदेह से परे साबित नहीं है। गवाहों की साक्ष्य में भारी विरोधाभास है। अंत में अधिवक्ता अभियुक्त ने उपरोक्त आधारों पर अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया।

7. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अब न्यायालय के समक्ष प्रकरण के निस्तारण हेतु विचारणीय बिंदु यह है कि :–

(1) क्या अभियुक्त ने दिनांक 26.12.2011 को समय दिन के करीब 2 बजे पीपाड रोड में एक ट्रक नम्बर आरजे19 जीबी 4611 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर परिवादी के पुत्र सहदेव को टक्कर मारकर मानव जीवन संकटापन्न किया?

(2) क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर ट्रक नम्बर आरजे19 जीबी 4611 को उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक चलाकर परिवादी के पुत्र सहदेव को टक्कर मारकर सहदेव के साधारण व गंभीर उपहति कारित की?

(3) आया अभियुक्त ने उक्त समय व स्थान पर वाहन संख्या आरजे19 जीबी 4611 को उपेक्षा या लापरवाही से चलाकर परिवादी के पुत्र सहदेव को टक्कर मारने के पश्चात सहदेव को चिकित्सीय सहायता उपलब्ध न करवाकर तथा पुलिस को सूचना न देकर मौके से भाग गया?

(4) यदि हां तो अभियुक्त किस दण्ड का भागी हैं?

8. उक्त विचारणीय बिंदुओं के संबंध में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो प्रकरण में गवाह पीडब्ल्यू 1 के रूप में श्यामलाल परिक्षित हुआ है, जिसने दौराने मुख्य परीक्षण साक्ष्य दी है कि करीब 7 साल पहले की बात है। उसका भतीजा सहदेव बाहर लैटरिंग करने के लिए गया हुआ था। रोड़ से 80 फुट की दूरी पर बैठा था, तभी ट्रक नंबर आरजे19 जीबी 4611 आई, जो बहुत तेज गति व लापरवाही से आती हुई उसके भतीजे के पांव पर चढ़ा दिया। ट्रक का ड्राईवर

ट्रक को छोड़कर भाग गया था। उसका मकान सड़क के पास ही था। उसने पास जाकर देखा तो पता चला कि उसके भतीजे के पांव से ट्रक गुजर गया था। उक्त ट्रक ड्राईवर का नाम श्यामपुरी था, फिर उसके भतीजे को पीपाड़ अस्पताल लेकर आए थे, फिर जोधपुर सनसिटी में ले गए थे। मौके पर भतीजे की मां भी आई थी। उसके भतीजे की लगी चोटों का मेडिकल व एक्सरे भी कराया था। दौराने जिरह उक्त गवाह ने कथन किया है कि यह गलत है कि उसके भतीजे के रोड क्रोस करते समय ट्रक ने टक्कर मारी हो। उसके पुलिस बयानों में प्रदर्श डी 1 का ए से बी भाग गवाह ने देने से इंकार किया। घटनास्थल से उसका मकान 100–150 फुट की दूरी पर है। वह सिर्फ चौथी पांचवी पढा है। घटनास्थल के पूर्व दिशा में उनके मेघवालों के मकान है। घटना के समय वह घर में ही था। यह सही है कि उसने अपने भतीजे के पांव उपर से ट्रक को गुजरते व टक्कर होते नही देखा था। यह सही है कि उसने मोके पर किसी भी ड्राईवर को नहीं देखा था। यह सही है कि श्यामपुरी को उसने ट्रक चलाते नहीं देखा था। उसने पुलिस वालों ने नाम बताया था। घटना के कितने दिन बाद रिपोर्ट थाने में दी थी उसे पता नहीं है। घटना के बाद वह थाने कब गया उसे आज याद नहीं है।

इसी प्रकार गवाह पीडब्ल्यू–02 रतनलाल ने दौराने मुख्य परीक्षण साक्ष्य दी है कि 02 जनवरी 2012 को पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा बनाया था। करीब 10 बजे बनाया था, जो प्रदर्श पी 2 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह उक्त गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि प्रदर्श पी 2 पर पुलिस वालो ने उसके हस्ताक्षर पुलिस थाने में करवाए थे। जब उससे हस्ताक्षर करवाए, उस समय नक्शा बना हुआ था। यह गलत है कि वह मुलजिम को झूठा फसाने के लिए झूठे बयान दे रहा है। प्रदर्श पी 2 पर उसके हस्ताक्षर मौके पर करवाए थे।

इसी प्रकार गवाह पीडब्ल्यू–03 माधोसिंह ने दौराने मुख्य परीक्षण साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 01.01.12 को पुलिस थाना पीपाड़ शहर में हैड कानि. के पद पर कार्यरत था। उस रोज प्रार्थी अर्जुनराम ने एक लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 03 थानाधिकारी इंद्रसिंह के समक्ष पेश की जिन्होंने प्रदर्श पी 03 पर ए से बी व सी से डी पुलिस कार्यवाही व मुकदमा नंबर अंकित कर

तफ्तीश घासीलाल हैड कानि. को सुपुर्द की थी। बाद में तफ्तीश उसको सुपुर्द की जिस पर ई से एफ प्रार्थी अर्जुनराम के तथा जी से एच एसएचओ इंद्रसिंह के हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 04 है जिस पर ए से बी इंद्रसिंह के हस्ताक्षर है जो साथ काम करने से पहचानता हूं। दौराने तफ्तीस गवाह श्यामलाल, श्रीमती सीता के बयान कथनानुसार लेखबद्ध किये। मजरूबों का डॉक्टरी मुआयना करवाकर आईआर व एक्सरे रिपोर्ट शामिल पत्रावली किये। जरिये फर्द प्रदर्श पी 05 एक ट्रक डम्पर नबर आरजे 19 जीबी 4611 को जप्त किया जिस पर ए से बी मोतीलाल, सी से डी प्रभुसिंह, ई से एफ सुशीला, जी से एच उसके हस्ताक्षर है। वाहन मालिक को धारा 133 एमवी एक्ट नोटिस प्रदर्श पी 06 दिया जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है सी से डी वाहन मालिक सुशीला के हस्ताक्षर है, ई से एम सुशीला का जवाब है, जिसमें चालक श्यामपुरी होना बताया है। ट्रक का एमटीओ करवाकर एमटीओ रिपोर्ट प्रदर्श पी 07 शामिल पत्रावली किया। ट्रक डम्पर की आरसी की प्रति व आम मुख्तयारनामा की प्रति शामिल पत्रावली किया। पूर्ण अनुसंधान कर मुल्जिम श्यामपुरी के विरूद्ध जुर्म अंतर्गत धारा 279,337,338 आईपीसी व 134 / 187 एमवी एक्ट में जुर्म मानकर पत्रावली एसएचओ इंद्रसिंह को पेश किया। जिन्होंने उपरोक्त मुल्जिम के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया, जिस पर ए से बी इंद्रसिंह के हस्ताक्षर है जो साथ काम करने से मैं पहचानता हूं। दौराने जिरह उक्त गवाह ने कथन किया है कि घटना की एफआईआर दर्ज के लिए उसके समक्ष पेश नहीं हुई। यह सही है कि घटना की रिपोर्ट 8 दिन देरी से दर्ज करवाई हुई है। मेडिकल करवाने के लिए तहरीर उसने दी थी, वो तहरीर इस पत्रावली पर नहीं है। यह सही है कि मजरूब सहदेव का मेडिकल मुआयना एफआईआर दर्ज होने के 17 दिन बाद में हुआ है व घटना के 25 दिन बाद हुआ था। मौका मुआयना उसने नहीं किया था, घासीलाल हैड कानि. ने किया था। यह सही है कि मौके के आलामात क्या है, उसने मौका मुआयना नहीं किया इसलिए वह नहीं बता सकता है। यह सही है कि प्रदर्श पी 2 में अंकित मौका फर्द में बने नक्शे में अंकित घटनास्थल के आसपास के पडोसियों के बयान नहीं लिए। यह सही है कि उसने स्वतंत्र गवाह के बयान नहीं लिए। प्रदर्श पी 6 में अंकित मार्क ई

से एफ स्थान की ईबारत उसके द्वारा नहीं लिखी गई है। प्रदर्श पी 6 में अंकित ई से एफ स्थान पर जो ईबारत लिखी है वह सुशीला के साथ आए व्यक्ति ने लिखी थी, जिसका नाम आज याद नहीं है। यह सही है कि सुशीला पढी लिखी महिला थी। यह गलत है कि प्रदर्श पी 6 में खाली पन्ने पर सुशीला के हस्ताक्षर करवाए हो व बाद में ईबारते लिखी हो। यह गलत है कि वह मुलजिम को फंसाने के लिए झूठे बयान दे रहा है।

इसी प्रकार गवाह पीडब्ल्यू–04 सीतादेवी ने दौराने मुख्य परीक्षण साक्ष्य दी है कि 26.12.2011 को दोपहर 2–3 बजे वह घर पर थी। उसका लड़का सहदेव घर के बाहर खेल रहा था, तब एक डंपर चुना से भरा हुआ था, जिसका ड्राईवर श्यामपुरी था, जिसने उसके बच्चे को टक्कर मार दी, जिससे उसके बच्चे का पैर फ्रैक्चर हो गया। घटना पर उसका देवर श्यामलाल व अन्य लोग आए जिन्होंने घटना देखी। उसके गांव का रिश्तेदार है श्यामपुरी इस कारण से उसको जानती है। उसके बच्चे को जोधपुर लेकर गए वहां उसका ईलाज करवाया। सनसिटी हॉस्पीटल में ईलाज करवाया। उसके पुलिस में बयान हुए। उसके पति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। दौराने जिरह उक्त गवाह ने कथन किया है कि दिसम्बर 2011 की बात है। 10–11 साल पहले की बात है। उसका लडका सहदेव घर से करीब 200 पाउण्डा दूर शौच के लिए झाडियों में गया। उसके लड़के का एक्सीडेंट हुआ तब वह घर के अंदर थी। एक्सीडेंट होने के बाद वह घर से बाहर आई। एक्सीडेंट होते हुए उसने नहीं देखा। जब वह घटना स्थल पर गई थी तब उसका लडका सडक पर पडा था। उस समय कोई गाड़ी सड़क पर नहीं थी। उसने श्यामपुरी को कभी नहीं देखा, न ही वह श्यामपुरी को जानती है। उसके बच्चे को कौन टक्कर मारकर गया, उसे पता नहीं है। यह गलत है कि वह झूठे बयान दे रही है।

इसी प्रकार गवाह पीडब्ल्यू–05 घासीलाल ने दौराने मुख्य परीक्षण साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 01.01.12 को पीएस पीपाड़ शहर में एचसी कार्यरत था। उस रोज थानाधिकारी इन्द्रसिंह ने परिवादी अर्जुनराम द्वारा पेश रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान हेतु उक्त रिपोर्ट प्रदर्श पी 3 है उसे अनुसंधान हेतु सुपुर्द की, जिस पर उसने 02.01.12 को घटना स्थल पहुंच

रूबरू मौतबिरान रतनलाल व भैराराम के समक्ष परिवादी अर्जुनराम की निशांदेही में घटनास्थल का निरीक्षण किया, जो प्रदर्श पी 2 है, जिस पर ए से बी, सी से डी मौतबिर, ई से एफ परिवादी व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। दौराने अनुसधान परिवादी व फोटोग्राफर पपुराम के बयान लिए, जो शामिल पत्रावली किए। बाद पत्रावली माधोसिंह एचसी को अग्रिम अनुसंधान हेतु इन्द्रसिंह जी ने दी। दौराने जिरह उक्त गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि घटनास्थल के पडौसियों के हस्ताक्षर मौका फर्द पर नहीं है। स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं है। मौका दिन में देखा था। किस समय देखा आज याद नहीं है। यह सही है कि मौका निरीक्षण के समय पडौसियों के बयान नहीं लिए। घटना के 5—6 दिन बाद मौका निरीक्षण किया था। घटनास्थल खुली रोड थी। एक तरफ आवासीय मकान थे और दूसरी तरफ गौचर भूमि थी। उसने घटनास्थल की फोटोग्राफी नहीं करवाई थी। यह गलत है कि वह झूठे बयान दे रहा है।

इसी प्रकार गवाह पीडब्ल्यू—06 डॉ नरनायक भाटी ने दौराने मुख्य परीक्षण साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 18.01.2012 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पीपाड शहर में कार्यरत था। उस दिन उसने पुलिस प्रतिवेदन पर मजरूब सहदेव मेघवाल पुत्र अर्जुन मेघवाल के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना किया, जिसमें निम्न चोटे कारित थी, चोट संख्या 1 टांके लगा हुआ घाव 6सेमी लंबा, जिस पर सर्जिकल मेटेलिंक पिन लगी हुई, जो मजरूब के दाहिने पैर के पंजे पर थी, चोट संख्या 2 टांके लगा हुआ घाव 8सेमी लंबा जिस पर सर्जिकल मेटेलिक पिन लगी हुई थी व दाएं पैर के पंजे के आगे व पीछे भाग पर थी, चोट संख्या 3 टांके लगा हुआ घाव 8सेमी लंबा जिस पर सर्जिकल मेटेलिक पिन लगी हुई जो दाहिने पैर के पंजे के आगे व पीछे भाग पर, चोट संख्या 4 टांके लगा हुआ घाव 8सेमी लंबा, जिस पर सर्जिकल पिन लगी हुई, जो दाहिने पैर के नीचले भाग पर, चोट संख्या 5 घाव जिसमें एडी की हड्डी दिखाई दे रही थी, 7 से 9 सेमी जो दाहिने पैर के पंजे के पीछे के भाग पर, चोट संख्या 6 रगडक 7 से 3 सेमी व 3 से 2 सेमी जो दाहिने पैर के पंजे के पृष्ठ तल पर, चोट संख्या 7 रगडक सर्जिकल स्कीन ग्राफ के साथ जो दाहिने पैर के उपर के मिडियल साइड के उपरी हाफ पर, चोट

संख्या 8 रगडक सर्जिकल स्कीन ग्राफ के साथ बाएं पैर के बाहरी भाग में उपरी हाफ पर, चोट संख्या 9 मजरूब बाएं पैर में दर्द की बात कर रहा था। चोट संख्या 1 लगायत 5 तक ओपिनियन रिर्जव रखी गई व एक्सरे की सलाह दी गई। चोट संख्या 6 से 8 सामान्य प्रकृति की व भोंटे हथियार से कारित थी। चोटो की अवधि हेतु एक्सरे के पश्चात रेडियोलॉजिस्ट द्वारा दिया जाना लिखा था। चोट प्रतिवेदन प्रपत्र प्रदर्श पी 8 पर ए से बी उसके व ई से एफ मजरूब के हस्ताक्षर व सी से डी मजरूब के पहचान चिह्न है। दौराने जिरह उक्त गवाह ने कथन किया है कि प्रदर्श पी 8 में वर्णित चोटों की समय अवधि उसने स्वयं ने चोटों की अवधि नहीं लिखी है। चोटों की अवधि हेतु एक्सरे के बाद रेडियोलोजिस्ट चिकित्सक से चोटों की अवधि के बारे में राय ली जावे। उसने चोट संख्या 1 से 5 के संदर्भ में एक्सरे की राय लिखी है। चोट संख्या 6–8 में एक्सरे की राय नहीं मांगी है। फिर भी चोटे पुरानी होने के कारण उसने अवधि नहीं दी जो नहीं दी जा सकती थी। उसने मजरूब की चोटों का अवलोकन किया। प्रदर्श पी 8 में वर्णित चोटें एकदम ताजा नहीं थी। यह सही है कि चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 8 दिनांक 18.01.12 का है व एक्सरे राय दिनांक 25.02.12 की है। एक्सरे रिपोर्ट दिनांक 25.02.12 को उसके निवेदन के पश्चात डॉ बीपी रेडियोलोजिस्ट ने बनाई व पेश की है। मजरूब के शरीर पर आई चोटो का मुआयना पुलिस की तहरीर पर किया था। यह सही है कि उसके पास आने से पूर्व ही मजरूब का चिकित्सा उपचार किया हुआ था। यदि कोई व्यक्ति अपने घर की छत से नीचे गिरे तो इस प्रकार की चोटे आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। एक्सरे के संदर्भ में रेडियोलोजिस्ट ही अपनी राय दे सकता है।

इसी प्रकार गवाह पीडब्ल्यू–07 सुशीला ने दौराने मुख्य परीक्षण साक्ष्य दी है कि उसके पति के नाम से एक ट्रक था, जिसका एक्सीडेंट हो गया था। उसका पंजीकृत स्वामी उसका पति ईश्वरपुरी था, जिसका पॉवर ऑफ अटॉर्नी उसके नाम से जारी किया था, जो प्रदर्श पी 9 है, जो नोटेरी द्वारा प्रमाणित है। दौराने जिरह उक्त गवाह ने कथन किया है कि उसके ट्रक से किससे एक्सीडेंट हुआ व किसने किया उसे नहीं पता।

इसी प्रकार गवाह पीडब्ल्यू–08 पप्पुराम ने दौराने मुख्य परीक्षण साक्ष्य दी है कि उसकी भवानी फोटो स्टुडियो के नाम से बस स्टेण्ड पर दुकान थी, जिस पर वह फोटोग्राफर का काम करता था। दिनांक 26.12.11 को पीएस पीपाड़ शहर के आईओ द्वारा कहने पर घटनास्थल पर जाकर दुर्घटना स्थल की फोटोग्राफी की थी। फोटो प्रदर्श पी 9 लगायत 14 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व मोहर अंकित है। उसके पुलिस ने बयान लिए थे। दौराने जिरह उक्त गवाह ने कथन किया है कि वह फोटोग्राफी का कार्य करीब 15 वर्षों से कर रहा है। पुलिस ने उसे फोटो खींचने बाबत कोई तहरीर नहीं दी। घटना 25.01.12 की बात है। पुलिस ने उसे बुलाया तब उसने फोटो खेंचे थे। उसके पुलिस में कोई बयान नहीं हुए। प्रदर्श डी1 में लिखे सभी कथन गलत है। पुलिस ने जहां के फोटो खेंचने का बोला, उसने फोटो खेंचे।

इसी प्रकार गवाह पीडब्ल्यू–09 भैराराम ने दौराने मुख्य परीक्षण साक्ष्य दी है कि आज से करीब 12 साल पहले पुलिस वाले मौके पर आए थे। उसके सामने मौका मुआयना किया था। नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 पर सी से डी उसके साईन है। दौराने जिरह उक्त गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि उक्त फर्द में पुलिस वालो ने क्या लिखापढी की, उसे पता नहीं है। यह सही है कि नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 के पडौस वह आज नहीं बता सकता है। यह गलत है कि वह झूठे बयान दे रहा है।

9. हस्तगत प्रकरण में न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिंदु के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का समग्रता से विवेचन व विश्लेषण करे तो हस्तगत प्रकरण मुस्तगीस अर्जुनराम की लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 3 पर दर्ज हुआ है जिसमे उसने दिनांक 26.12.11 को दिन के दो बजे उसका पुत्र सहदेव शौच से आ रहे होने के दौरान सामने से एक ट्रक नंबर आरजे19 जीबी 4611 जोधपुर से पीपाड रोड बस स्टेण्ड की तरफ तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए आने, गलत दिशा में आकर उसक पुत्र के टक्कर मारकर एक्सीडेंट कर देने, जिससे उसके पुत्र के दोनों पैर टूट जाने, ट्रक ड्राईवर ट्रक को मौके पर छोडकर भाग जाने, वह तथा उसका भाई श्यामलाल उसके जाने तथा उसके पुत्र को अस्पताल ले जाने, ट्रक मालिक द्वारा कार्यवाही नहीं करने, ईलाज का रूपये देने का कहने व

बाद में नहीं देने पर मुकदमा करने के कथन किए है। हस्तगत प्रकरण में घटना दिनांक 26.12.11 के दिन की बताई गई है एवं लिखित रिपोर्ट दिनांक 31.12.11 को दर्ज करवाई गई है। लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 में वाहन के नंबर अवश्य बताए गए है परन्तु ड्राईवर का नाम नहीं बताया गया है। यद्यपि दरियाफत पुलिस में ट्रक चालक का नाम श्यामपुरी होना बताया गया है एवं घटना की रिपोर्ट देरी का कारण उसका लडका जोधपुर में भर्ती होना बताया गया है जबकि लिखित रिर्पोर्ट प्रदर्श पी 1 पर ट्रक मालिक द्वारा कार्यवाही नहीं करने का कहने एवं ईलाज के रूपये दे देने का कहने के कथन किए गए है। उक्त लिखित रिपोर्ट के संबंध में उक्त रिपोर्ट कर्ता मुस्तगीस अर्जुनराम फौत हो जाने से साक्ष्य में परीक्षित नहीं हुआ है तथा लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 अनुसंधान अधिकारी द्वरा प्रदर्शित करवाई गई है। घटना के चश्मदीद गवाह के रूप में गवाह पीडब्ल्यू 1 के रूप में श्यामलाल परीक्षित हुआ है जो दौराने मुख्य परीक्षा तो दुर्घटना कारित करने वाली गाडी ट्रक के नंबर आरजे19 जीबी 4611 बताता है एवं उक्त ट्रक को तेज गति व लापरवाही से आते हुए उसके भतीजे के टक्कर मारने के कथन करता है एवं ट्रक ड्राईवर का नाम श्यामपुरी बताता है। दौराने जिरह उक्त गवाह इस सुझाव से तो इंकार करता है कि उसके भतीजे के रोड क्रास करते समय टक्कर लग गई हो परन्तु दौराने जिरह ही उक्त गवाह अपने पुलिस बयान प्रदर्श डी1 का हिस्सा ''वह लेटरिंग करने के लिए रोड क्रोस कर .... सहदेव के टक्कर मार दी'' पुलिस को देने से इंकार करता है। वहीं आगे यह भी स्वीकार करता है कि उसने अपने भतीजे के पाव के उपर ट्रक को गुजरते नहीं देखा। उसने मौके पर किसी ड्राईवर को नहीं देखा था। श्यामपुरी को उसने ट्रक चलाते हुए नहीं देखा था। उसे पुलिस वालो ने नाम बताया था। घटना के कितने दिन बाद रिपोर्ट थाने में दी उसे पता नही है। इस प्रकार उक्त गवाह घटना का चश्मदीद गवाह के रूप में परीक्षित हुआ है परन्तु दौराने जिरह न तो वह दुर्घटना देखने के कथन करता है, न ही ड्राईवर को ट्रक चलाते हुए देखने व ड्राईवर को देखने के कथन करता है तथा ड्राईवर का नाम पुलिस वालो के बताने के कथन करता है।

इसी प्रकार गवाह पीडब्लयू 2 के रूप में रतनलाल व पीडब्ल्यू 9 के रूप में भैराराम परीक्षित हुए है जो कि नक्शा मौका प्रदर्श पी 02 के मौतबीर गवाहान है। गवाह पीडब्ल्यू 2 रतनलाल व पीडब्ल्यू 9 भैराराम नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 दौराने मुख्य परीक्षा उनके सामने बनाने व अपने हस्ताक्षर होने के कथन करते है परन्तु गवाह पीडब्ल्यू 2 रतनलाल दौराने जिरह यह स्वीकार करता है कि प्रदर्श पी 2 पर पुलिस वालो ने उसके हस्ताक्षर पुलिस थाने में करवाए थे। जब उसके हस्ताक्षर करवाए, उसका नक्शा बना हुआ था। वहीं गवाह पीडब्ल्यू 9 भैराराम दौराने जिरह कथन करता है कि फर्द प्रदर्श पी 2 में पुलिस ने क्या लिखापढी की उसे पता नहीं है। इस प्रकार उक्त दोनों ही गवाहान नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 के संबंध में विरोधाभासी कथन करते है।

घटना के चश्मदीद गवाह के रूप में मजरूब सहदेव की माता पीडब्ल्यू 4 सीतादेवी परीक्षित हुई है। उक्त गवाह दौराने मुख्य परीक्षा उसका लडका बाहर खेल रहे होने के दौरान एक डंपर ड्राईवर श्यामपुरी उसके बच्चे को टक्कर मार देने, जिससे उसके पैर फ्रैक्चर हो जाने, श्यामपुरी उसका गांव का रिश्तेदार होने के कारण जानने के कथन करती है। वहीं दौराने जिरह उक्त गवाह सहदेव घर से शौच के लिए झाडियो में गए होने तथा एक्सीडेंट के समय घर के अंदर होने, एक्सीडेंट होते उसने नहीं देखने, घटनास्थल पर जाने पर उसका लडका सडक पर पडे होने, उस समय कोई गाडी सडक पर नहीं होने, उसने श्यामपुरी को कभी नहीं देखने, न ही जानने, उसके बच्चे को टक्कर कौन मारकर गया उसे पता नहीं होने के कथन करती है। इस प्रकार उक्त गवाह दौराने मुख्य परीक्षा न तो टक्कर मारने वाले गाडी के नंबर बताती है एवं न ही उक्त ट्रक तेज गति व लापरवाही से चलाए जा रहे हो इस संबंध में कथन करती है। यद्यपि ड्राईवर का नाम श्यामपुरी बताती है परन्तु दौराने जिरह उक्त गवाह श्यामपुरी को कभी नही देखने व न ही जानने के कथन करती है एवं एक्सीडेंट होते नहीं देखने के भी कथन करती है।

इसी प्रकार गवाह पीडब्ल्यू 3 माधोसिंह परीक्षित हुआ है जो कि लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 उसके समक्ष पेश किए जाने पर उसके द्व

ारा एसएचओ के समक्ष पेश करने पर उसके प्रकरण की तफ्तीस हेड कानि. घ ासीराम को सुपुर्द करने एवं तत्पश्चात उसको सुपुर्द करने पर गवाहान के बयान लेखबद्ध करने, मजरूब का डाक्टरी मुआयना करवाकर आईआर शामिल पत्रावली करने, जरिये फर्द प्रदर्श पी 5 ट्रक डम्पर को जब्त करने, वाहन मालिक को धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस देने, ट्रक का एमटीओ करवाकर रिपोट प्रदर्श पी 7 शामिल पत्रावली करने, पूर्ण अनुसंधान कर मुलजिम के विरुद्ध जुर्म प्रमाणित मान पत्रावली एसएचओ को पेश करने तथा एसएचओ द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में पेश करने के कथन करता है। दौराने जिरह उक्त गवाह यह स्वीकार करता है कि घटना की रिपोर्ट 8 दिन देरी से दर्ज करवाई गई है। मजरूब का मेडिकल मुआयना कर रिपोर्ट दर्ज होने के 17 दिन बाद हुआ था। यह सही है कि उसने स्वतंत्र गवाह के बयान नहीं लिए। इसी प्रकार गवाह पीडब्ल्यू 5 के रूप में घासीलाल परीक्षित हुआ है जो कि प्रकरण का प्रारभिंक अनुसंधान अधिकारी है। उक्त गवाह नक्शा मौका प्रदर्श पी 2 बनाने, परिवादी के बयान लेने, तत्पश्चात पत्रावली माधोसिंह हेड कानि. को सुपुर्द करने के कथन करता है। दौराने जिरह उक्त गवाह स्वीकार करता है कि घटना स्थल के पडौसियो के हस्ताक्षर फर्द मौका पर नही है। स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं है। मौका किस समय देखा आज याद नहीं है। घटना के 5–6 दिन बाद मौका निरीक्षण किया था। उसने घटना स्थल की फोटोग्राफी नहीं करवाई।

इसी प्रकार गवाह पीडब्ल्यू 6 डॉ एनएन भाटी परीक्षित हुआ है जो कि मजरूब की चोटो का मौका मुआयना कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 8 देने की ताईद करता है। दौराने जिरह उक्त गवाह कथन करता है कि प्रदर्श पी 8 में वर्णित चोटो की समयावधि नहीं लिखी है। प्रदर्श पी 8 में वर्णित चोटे एकदम ताजा नहीं थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 8 दिनांक 18.01.12 एव एक्सरे दिनांक 25.02.12 की है। एक्सरे रिपोर्ट उसके निवेदन के पश्चात डॉ बीपी गहलोत रेडियोलोजिस्ट बनाई व पेश की। यह सही है कि उसके पास आने से पूर्व ही मजरूब का चिकित्सा उपचार किया हुआ था। यदि कोई व्यक्ति अपने छत से गिरे तो इस प्रकार की चोटो के आने से इंकार नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार गवाह पीडब्ल्यू 7 सुशीला परीक्षित हुई है जो कि धारा 133 एमवी एक्ट नोटिस प्रदर्श पी 9 की गवाह है। उक्त

गवाह दौराने मुख्य परीक्षा उसकी ट्रक उसके पति के नाम से जिसका एक्सीडेंट होने, उसका पंजीकृत स्वामी उसका पति श्यामपुरी होने, जिसकी पावर ऑफ अटॉर्नी प्रदर्श पी 9 उसके नाम से जारी होने के कथन करती है। दौराने जिरह उक्त गवाह कथन करती है कि उसके ट्रक से किसका एक्सीडेंट हुआ व किसने किया उसे पता नहीं है। इसी प्रकार गवाह पीडब्ल्यू 8 पपूराम परिक्षित हुआ है जो कि फोटोग्राफर है जो दुर्घटना स्थल की फोटोग्राफी कर फोटोग्राफ प्रदर्श पी 9 लगायत प्रदर्श पी 14 को प्रदर्शित करवाता है। दौराने जिरह उक्त गवाह कथन करता है कि घटना 25.01.12 की है। पुलिस ने उसे बुलाया तब उसने फोटो खीचे थे। उसके पुलिस में बयान नहीं हुए।

इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में सर्वप्रथम तो घटना दिनांक 26.12.11 के दिन की बताई गई है एवं लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 3 दिनांक 31.12.11 को दर्ज करवाई गई है। जो कि 8 दिन देरीना पेश की गई है। प्रकरण का मुस्तगीस फौत होने से परीक्षित नहीं हुआ है। घटनास्थल के चश्मदीद गवाह के रूप में गवाह पीडब्ल्यू 1 श्यामलाल व पीडब्ल्यू 4 सीतादेवी परीक्षित हुई है जो अपने दौराने मुख्य परीक्षा में किए गए कथनों के विरोधाभासी कथन दौराने जिरह करते है तथा अपने मुख्य परीक्षा में किए गए कथनों के अडिग नहीं रहते है। प्रकरण में मजरूब सहदेव के शरीर पर चोटे आने की ताईद गवाह पीडब्ल्यू 6 डॉ एनएन भाटी करता है परन्तु उक्त गवाह यह भी स्वीकार करता है कि उक्त चोटे छत पर गिरने से आने से इंकार नहीं किया जा सकता है। प्रकरण में वाहन संख्या आरजे19 जीबी 4611 से दुर्घटना होने के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य में फोटोग्राफ प्रदर्श पी 9 लगायत प्रदर्श पी 14 प्रदर्शित करवाए गए है एव उक्त के संबंध में गवाह पीडब्ल्यू 8 पपूराम परीक्षित हुआ है। उक्त फोटोग्राफ का अवलोकन करे तो उक्त फोटोग्राफ में लिखित रिर्पोर्ट प्रदर्श पी 1 में अंकित ट्रक रोड के बीचोबीच खडा दर्शित होता है तथा गवाह पीडब्ल्यू 8 पपूराम दौराने साक्ष्य घटना दिनांक 25.01.12 की बताता है जबकि लिखित रिर्पोर्ट प्रदर्श पी 3 में घटना दिनांक 26.12.11 की बताई गई है। उक्त फोटोग्राफ के अवलोकन से मौके पर उक्त ट्रक से एक्सीडेंट होने के संबंध में ऐसा कोई साक्ष्य दर्शित नहीं होता कि उक्त ट्रक

से एक्सीडेंट हुआ हो। प्रकरण में अभियुक्त की संलिप्तता के संबंध में अनुसंधान अधिकारी द्वारा धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस प्रदर्श पी 9 प्रदर्शित करवाया गया है जिसकी गवाह पीडब्ल्यू 7 सुशीला वाहन के रजिस्टर्ड मालिक की पावर ऑफ अटॉनी होल्डर के रूप में परीक्षित हुई है। जिसमें उक्त गवाह ने वक्त घटना उक्त ट्रक का ड्राईवर श्यामपुरी होना बताया है परन्तु मात्र धारा 133 एमवी एक्ट के नोटिस के आधार पर किसी भी व्यक्ति को दुर्घटना के लिए दायी नहीं ठहराया जा सकता है। प्रकरण में एमटीओ रिपोर्ट प्रदर्श पी 7 के गवाह श्रवणराम न तो साक्ष्य सूची में रखा गया है एवं नहीं दौराने साक्ष्य परीक्षित करवाया गया है।

इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में वाहन ट्रक नंबर आरजे19 जीबी 4611 के ड्राईवर द्वारा उक्त वाहन को तेज गति व लापरवाही से चलाकर मजरूब सहदेव के टक्कर मारने एवं वक्त घटना उक्त ट्रक का ड्राईवर श्यामपुरी होना संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है। इसलिए अभियुक्त श्यामपुरी द्वारा वाहन नंबर आरजे19 जीबी 4611 को तेज गति व लापरवाही से चलाकर मानव जीवन संकटापित कर मजरूब सहदेव के टक्कर मारकर स्वेच्छया साधारण व गंभीर उपहति कारित करने एवं दुर्घटना कि पश्चात मजरूब को चिकित्सीय सहायता उपलब्ध न करवाकर मौके से भाग जाने का तथ्य संदेह से परे प्रमाणित नहीं होने से उक्त अभियुक्त श्यामपुरी आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279,337,338 भादसं. व 134 / 187 एमवी एक्ट में दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

(इन्साफ खान आर.जे.एस)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
पीपाड़ शहर, जोधपुर जिला।

—:आदेशः—

10. अतः उक्त विवेचन के परिणामस्वरूप अभियुक्त श्यामपुरी पुत्र मंगलपुरी, निवासी खांगटा, पुलिस थाना पीपाड शहर को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279,337,338 भादसं. व 134 / 187 एमवी एक्ट के अपराध में संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

11. अभियुक्त के द्वारा पूर्व में न्यायालय में नियमित तारीख पेशी पर उपस्थित होने बाबत् प्रस्तुत जमानत–मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

12. प्रकरण मोटर दुर्घटना सें संबंधित होने से प्रकरण में राजस्थान पीडित प्रतिकर योजना के प्रावधान आकृष्ट नहीं होने से किसी पीडित को प्रतिकर दिलाए जाने की अनुशंसा किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

13. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन दौराने विचारण पूर्व में सुपुर्दगीदार को सुपुर्द किया जा चुका है जो वाहन सुपुर्दगीदार के पास ही रहेगा एवं संबंधित सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा अपील की समयावधि समाप्त होने के पश्चात स्वतः निरस्त समझी जाएगी अथवा अपील होने की स्थिति में अपील न्यायालय के आदेश के अधीन रहेंगे।

(इन्साफ खान आर.जे.एस)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
पीपाड़ शहर, जोधपुर जिला।

14. निर्णय व आदेश आज दिनांक 23.01.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्साफ खान आर.जे.एस)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
पीपाड़ शहर, जोधपुर जिला।